प्रेस नोट **दिनांक 30.06.2026**

थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 34000 -/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व थानाध्यक्ष कोपागंज के कुशल नेतृत्व में, थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितगण **1.** प्रवीन पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम जयरामगढ़ कोपागंज मऊ,की 20000/- रुपये **2.** विमली देवी पत्नी प्रेमचन्द्र यादव निवासी ग्राम जहनियापुर थाना कोपागंज जनपद मऊ की 14000/- रुपये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड की गयी धनराशि, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोपागंज में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ितगण के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 34000/- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 18000/-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष कोपागंज जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को गुम हुए 01अदद मोबाइल फोन (infinix), साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक गोरख कुमार निवासी बरसातपुर को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

गुम/खोये हुए कुल 02 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 67000/-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष कोपागंज जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को गुम हुए 02अदद मोबाइल फोन, साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिको तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 12700 /- (बारह हजार सात सौ) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 12700 /- (बारह हजार सात सौ रुपेय) पीड़ितगण **1.** विश्ववेन्द्र पाल पुत्र महेन्द्र पाल निवासी डीहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ,की 5700/- रुपये **2.** प्रिन्स यादव पुत्र चन्द्रशेखर यादव निवासी बिबीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की 5000/-रुपये, **3.** नितेश कुमार पुत्र सुनील कुमार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की 2000/- पीडितगण सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

प्रेस नोट

दिनांक 30/06/2026

सुरक्षा सन्देश-

दिनांक 24/06/2026 को ग्राम गाजियापुर थाना मधुबन निवासी दो लड़कियों का घाघरा नदी में नहाते समय नदी में डूब जाने पर पी ए सी एवं NDRF के द्वारा काफी खोजबीन के बाद यह पता चला कि उक्त घाघरा नदी में काफी संख्या में बड़े बड़े घड़ियाल हैं और संभवतः उन्हीं घड़ियालों द्वारा दोनों डूबी लड़कियों के शव को काफी क्षत विक्षत कर दिया गया था और क्षत विक्षत अवस्था में शव दोनों के बरामद हुए थे।

इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में थाना मधुबन क्षेत्र में जो घाघरा नदी के किनारे के और आसपास के गांवों में ग्रामवासियों को घड़ियाल से बचाव के दृष्टिगत घाघरा नदी में बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को न नहाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाकर थाना मधुबन प्रभारी निरीक्षक के के गुप्ता और पुलिस टीम द्वारा ग्रामवासियों को जागरूक किया गया और सुरक्षा सन्देश पेम्प्लेट्स भी गावों में चस्पा कर चालाया जा रहा जागरुकता आभियान

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2026 को 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना सरायलखन्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2851/2010 धारा 419,420, 498,406,342, 376,506 भादवि के आरोपी सोनू मद्धेशिया पुत्र नंदू मद्धेशिया निवासी मलिक ताहिरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में 10 वर्ष का कारावास की सजा का दंड व 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 30.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 543 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।